# न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 55/2019(GCMS : 2019/00095)

**पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा : श्री गुरूनानक गर्ल्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर–335001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी**

**बनाम**

1. **श्री कन्हैयालाल छिम्पा** पुत्र श्री दानाराम (अ) दुकान नं. 61 वर्कशॉप एरिया, मिनि मायापुरी, मुकेश हॉटल के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (ब) हाऊस नं. 521, वार्ड नं. 10, स्कूल नं. 9, खेतड़ा पाल मन्दिर के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
2. **श्री दानाराम** पुत्र श्री पुरखाराम, हाऊस नं. 521, वार्ड नं. 10, स्कूल नं. 9, खेतड़ा पाल मन्दिर के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
3. **श्रीमती केसर देवी** पत्नी श्री दानाराम, हाउस नं. 521, वार्ड नं. 10, स्कूल नं. 9, खेतड़ा पाल मन्दिर के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
4. **श्रीमती ललिता** पत्नी श्री कन्हैयालाल छिम्पा हाउस नं. 521, वार्ड नं. 10, स्कूल नं. 9, खेतड़ा पाल मन्दिर के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.08.2023

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 27.03.2019 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण कन्हैयालाल, दानाराम, केसरी देवी एवं ललिता को ऋण सुविधा के रूप में 4.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख मात्र) का ऋण दिनांक 31.03.2016 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दानाराम द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 61 (क्षेत्रफल 600 वर्गफीट), वर्कशॉप एरिया, मिनि मायापुरी, मुकेश हॉटल के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है। और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता अपडेट हो गया है, इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

**मैने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** दिनांक 27.03.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण कन्हैयालाल, दानाराम, केसर देवी एवं ललिता के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में दानाराम की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 61 (क्षेत्रफल 600 वर्गफीट), वर्कशॉप एरिया, मिनि मायापुरी, मुकेश हॉटल के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब एंड सिंध बैंक** द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested